क्रम संख्या–66 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 29 जून, 2021 ई0

आषाढ़ 08, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 166/XXXVI (3)/2021/28(1)/2021

देहरादून, 29 जून, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ' **स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021**" पर दिनांक 23 जून, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 16 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2021)

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

अधिनियम में संशोधन

2. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में "संघटक महाविद्यालय" शब्दों के स्थान पर जहां जहां ये आते हैं, "संघटक महाविद्यालय / स्कूल" शब्द रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) के खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्वामी राम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर तोली, मल्ला बदलपुर, पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया जायेगा।

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर से इतर परिसर स्थापित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 (समय–समय पर यथा संशोधित) का पालन किया जायेगा।"

धारा 8 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के खण्ड (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ङ) समरूप उद्देश्यों वाली संस्थाओं को दान देना या सहायता प्रदान करना;

धारा 21 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) अपने स्वयं के विनिश्चिय तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा लिए गये विनिश्चयों का पुनरावलोकन करना।"

धारा 22 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्--

"(1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगे:--

(क) कुलपति--अध्यक्ष;

(ख) प्रति--कुलपति, यदि हो;

(ग) उत्तराखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित 05 (पांच) सदस्य;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित संघटक महाविद्यालयों/स्कूलों के 03 (तीन) डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक;

(च) वरिष्ठता सह चक्रीय आधार पर कुलपति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नामित 02 (दो) आचार्य;

(छ) कुलसचिव--सदस्य सचिव;"

धारा 47 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्--

(1) विश्वविद्यालय के बैंक खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक में खोले जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में स्थापित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के वर्तमान परिदृश्य में व्यावहारिक संचालन, विकास व विस्तार हेतु स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2–प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

No. 166/XXXVI(3)/2021/28(1)/2021
<u>*Dated Dehradun, June 29, 2021*</u>

<u>NOTIFICATION</u>

<u>Miscellaneous</u>

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'Swami Rama Himalayan University (Amendment) Act, 2021 (Act No. 16 of 2021).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2021.

SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT 2021,

(Uttarakhand Act No. 16 Year, 2021)

Further to amend the Swami Rama Himalayan University Act, 2012

An

Act

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called the Swami Rama Himalayan University (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in the Act

2 In the Swami Rama Himalayan University Act, 2012, (hereinafter referred to as the principal Act) for the words "Constituent College" wherever they occur, the words "Constituent College/School" shall be substituted.

Amendment of Section 4

3. In Section 4 of the principal Act, clause (a) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely:-

"(a) The headquarters of the University shall be at Swami Rama Nagar, Dehradun, Uttarakhand. the second campus of the University shall be established at Toli, Malla Badalpur, Pauri Garhwal:

Provided that University before

establishing a campus outside the main campus, shall comply with the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations 2003 (as amended from time to time) "

Amendment of Section 8

4. In Section 8 of the principal Act, clause (e) of sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(e) To grant donation or assistance to institutions having similar objectives.

Amendment of Section 21

5. In Section 21 of the principal Act, clause (c) of sub-section (2) shall be substituted as follows, namely:-

"(c) to review its own decisions and the decisions taken by any other authority or officer of the University"

Amendment of Section 22

6. In Section 22 of the principal Act, sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(1) The Board of Management shall consist of:-

(a) The Vice-Chancellor - Chairperson;

(b) The pro- Vice-Chancellor, if any;

(c) The Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand, Department of Higher Education;

(d) 05(five) persons nominated by the Promoting Society;

(e) 03(three) Deans/Principals/Directors of constituent colleges/schools by rotation nominated by the Chancellor;

(f) 02(two) Professors on the basis of seniority cum rotation nominated by the Chancellor on recommendation of Vice-Chancellor;

(g) The Registrar - Member Secretary

Amendment of Section 47

7. In Section 47 of the principal Act, sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(1) The bank accounts of the University shall be opened in any nationalized bank or scheduled bank.

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of Objectives and reasons

For the practical operation, development and expansion in the present scenario of Swami Ram Himalayan University, which is established in Dehradun district of Uttarakhand state, it is expedient to amend the Swami Ram Himalayan University Act, 2012

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 विधायी / 263—2021—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।